विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),
कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या - 38/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.) छिबरामऊ, कन्नौज।

------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 12.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने एकाउन्ट नम्बर 4691124000 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

आगे जारी है।

इण्डस टावर लि. मैहमूदपुर खास, छिबरामउ एकाउन्ट नम्बर 4691124000 स्वीकृत भार 16.667 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 23,388/- था।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6 एवं संलग्नक का.सं. 3/7 ता 3/9) दाखिल किया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिर्पाटमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 4691124000 विपक्षी / प्रतिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसके स्वीकृत भार 16.667 के.वी.ए. है। धारा 5 कथन जिस प्रकार लिखे गये हैं असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी का विद्युत कनेक्शन माह 01/2021 से पूर्व बकाये पर अस्थायी रूप से विच्छेदित किया था। किन्तु परिवादी के द्वारा बिल धनराशि जमा करने के कारण कनेक्शन को पुनः जोड़कर अभी तक विच्छेदित नहीं किया गया है। परिवादी का विद्युत बकाया माह 10/2021 तक का पूर्ण रूप से उसके द्वारा जमा किया गया है। जिसके कारण परिवादी का यह कहना कि उसकी विद्युत सप्लाई विच्छेदित है पूर्णतया गलत है। धारा 6 के कथन परिवादी के द्वारा अक्टूबर 2021 माह के बिल की धनराशि को जमा किया जा चुका है जिसके कारण उसके ऊपर बकाया धनराशि नहीं है। परिवादी के विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1/1 से 1/2 है तथा बिल दिनांक 04.10.2021 तक की बकाया की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 2 है। धारा 7 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन चल रहा है। जिसके कारण विच्छेदित होने पर न जोड़े जाने का कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त बिल धनराशि के साथ-साथ रिकनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन चार्ज दिनांक 30.01.2021 को जमा किया गया तथा बिल धनराशि रु. 54,810/- को दिनांक 03.02.2021 को जमा किया गया। उक्त के उपरान्त माह दर माह के बिल परिवादी को जारी हो रहे है। जिनका भुगतान उसके द्वारा करने के कारण उसके कनेक्शन को कभी नहीं काटा गया जैसा कि परिवादी के लेजर जो कि जवाबदावे का संलग्नक 1 है से स्पष्ट है। धारा 8 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी की विद्युत सप्लाई ग्रामीण क्षेत्र में आती है किन्तु वर्ष 2012 से उसकी सप्लाई निरन्तर होने के कारण उसके बिल शहरी टैरिफ के अर्न्तगत निर्गत किये गये है। जो कि पूर्णतया सही है। धारा 9 के कथन विधिक है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यहाँ यह

आगे जारी है।

बताना भी आवश्यक है कि परिवादी की परिसर की इंस्पेक्शन समय-समय पर वीधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। धारा 10 के कथन आशिंक रूप से विधिक है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है तथा शेष तथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विद्युत बिल विधिक प्रावधानों के अनुसार जारी किये जा रहे है। परिवाद पत्र की पुनः नम्बरित धारा 10 के कथन विधिक है जिनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 11 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विधिक प्रावधानों के अनुसार विद्युत ऊर्जा प्रदान की जा रही है तथा बिल भी उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी टारिफ के अनुसार जारी कियो जा रहे है। धारा 12 में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों का आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 13 में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन माह जनवरी 2021 के पूर्व के बिल बकाया के आधार पर विच्छेदित किया गया था । परिवादी के द्वारा दिनांक 30.01.2021 को रिकनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन चार्ज रु. 1000/- तथा दिनांक 03.03.2021 को रु. 54,810/- जमा करने पर उसकी विद्युत सप्लाई जोड़ दी गयी थी जिसके उपरान्त से आज तक परिवादी की विद्युत सप्लाई विच्छेदित नहीं की गयी है तथा उसका कनेक्शन निरन्तर चल रहा है। अक्टूबर 2021 तक का बिल रु. 48,311/- है जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक 2 है।

निष्कर्ष

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

(1) पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा रीडिंग के आधार पर बनाये जा रहे बिलों का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी द्वारा अन्तिम बिल दिनांक 06.08.2022 को रु. 20,211/- जमा किया गया है एवं दिनांक 21.10.2022 को रु. 22,158/- जमा किया गया है एवं उस पर कोई बकाया शेष नहीं है। परिवादी का यह कथन है कि उसका संयोजन की सप्लाई ग्रामीण फीडर से की जा रही है इसलिये इसका परीक्षण विपक्षी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि परिवादी का कथन सत्य है तो उसके बिलों का संशोधन नियमानुसार लागू टैरिफ के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आगे जारी है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की सप्लाई की आपूर्ति ग्रामीण / शहरी किस विधा में की जा रही है की जांच सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार लागू टैरिफ के अनुसार संशोधित बिल उपलब्ध करायें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

09/11/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 9 /11/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

09/11/22

संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 9 /11/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति